

## 100 से अधिक अवैध कब्जाधारियों को बेदखल कर जब्ती की कार्यवाही की गई ।

**भिलाईनगर/** यातायात पुलिस एवं नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा आज दुसरे दिन संयुक्त रूप से सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग के दोनों ओर, सुपेला चौक से पावर हाउस चौक तक एवं चन्द्रा मौर्या अंडर बृज तक के सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय करने वाले लगभग 100 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर कब्जा मुक्त कराया गया। ऐसे कब्जाधारियों के कारण जो सड़क मार्ग को अवैध रूप से कब्जा कर अपना व्यवसाय कर रहे थे। जिसके कारण आम नागरिकों को आने-जाने में असुविधा हो रही थी। ऐसे अवैध कब्जाधारियों को कब्जा मुक्त कराया गया। उक्त बेदखली की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। निगम आयुक्त श्री के.ए.ल. चौहान के निर्देश पर सड़क सुरक्षा बनाये रखने एवं आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से आज यातायात पुलिस एवं निगम का तोडफोड दस्ता के साथ सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक सुपेला चौक से रेल्वे कासिंग के दोनों ओर, सुपेला चौक से पावर हाउस चौक तक एवं चन्द्रा मौर्या अंडर बृज दोनों किनारे अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय करने वाले लगभग 100 अतिक्रमणकारियों को बेदखली की कार्यवाही की गई। तथा उन समस्त अवैध कब्जाधारियों को निगम प्रशासन एवं यातायात पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई कि यातायात में बाधा उत्पन्न न करें तथा खाली कराये गये रथल पर पुनः व्यवसाय करने पर जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। आज की संयुक्त बेदखली कार्यवाही में यातायात पुलिस बल एवं निगम भिलाई के जोन-01, 02, 03 के प्रभारी राजस्व अधिकारी श्री हरचरण सिंह अरोरा, श्री विनोद चन्द्राकर, श्री परमेश्वर चन्द्राकर तोडफोड़ प्रभारी अधिकारी श्री यतीन्द्रनाथ देवांगन, अंजनी सिंह, रामायण सिंह, सहित निगम के तीनों जोन कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने संसाधनों के साथ उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी

